राजस्थान -- सरकार
शिक्षा – विभाग
निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ1(70)स्था/आकाशि/2006/ 256 दिनॉकः 16 अगस्त, 2011

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः संविदा व्याख्याताओं को वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ1(70)स्था/आकाशि/2008/618 दिनॉक 29.10.2010.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन कार्यरत संविदा व्याख्याताओं को नवीन संविदा सम्बन्धी औपचारिताएं पूर्ण करने के पश्चात दिनॉक 01.07.2010 से 31.12.2010 तक का वेतन भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था।

विभाग के उक्त आदेश पर महाविद्यालयों में कार्यरत कुछ संविदा व्याख्याताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। माननीय न्यायालय ने याचिका संख्या 3743/2010 पर दिनॉक 06.12.2010 को आदेश प्रदान किया की संविदा व्याख्याताओं को नवीन अनुबन्ध की शर्त बाध्यकारी बनाये बिना वेतन का भुगतान किया जाये।

इस क्रम में वित्त विभाग की सहमति आई.डी. क्रमांक 131100073 दिनॉक 15.02.2011 के अनुसार संविदा व्याख्याताओं को 01.07.2010 से 30.04.2011 तक की अवधि का वेतन नवीन अनुबन्ध की शर्त को बाध्यकारी बनाये बिना भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(सुबीर कुमार)
निदेशक